1/48897/2023



भारत सरकार IGOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांकः ६-एमपीआर 012/2023-बीएचओ

दिनांक : 20 /07/2023

प्रति.

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) I

विषयः रीवा जिले के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र मऊगंज के वनकक्ष क्रमांक पीएफ-334 की 4.59 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोनस, हुडडा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भः 1.नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-1/835/2022/10-11/2659 दिनांक 30/06/2023. 2.आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/256 दिनांक 15/07/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 07/07/2023 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 15/07/2023 (संदक्षित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम निलखित है:-

- 1. The proposed NFL CA area has already 0.5 to 0.6 density vegetation. So, the State Forest Department shall re-visit the proposed CA area and identify that how many plants can be planted in non-forest land. In case, it is not possible to plant 1000 saplings per ha then an additional CA on Degraded Forest Land for plantation of the balance plants shall be submitted along with CA Scheme, KML file & maps.
- 2. A signed copy of Mining Plan shall be submitted.
- 3. The State Forest Department shall clarify the Forest Range (Hanumana or Mauganj) of proposed diversion area.
- 4. The State Forest Department shall submit status of approach road for mining area (with map).
- 5. The State Forest Department/ User Agency shall submit status of safety zone and same shall be marked on the KML file.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar Date: 20-07-2023 16:17:58 Reason: Approved